

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 12588 / 4952

दिनांक :- 19/01/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश कुमार मीणा [लिंक न . 12588] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारिता चुनाव अधिकरण, सहकारिता विभाग, जयपुर - [1285] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 08/08/2017 से 25/08/2017 तक 18 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 29/08/2017 से 31/08/2017 तक 3 दिवस

दिनांक 01/09/2017 से 22/09/2017 तक 22 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 04/10/2017 से 17/10/2017 तक 14 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 57 दिवस

उक्त कुल 57 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश कुमार मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 12588 / 4952

दिनांक :- 19/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारिता चुनाव अधिकरण, सहकारिता विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश कुमार मीणा [12588] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारिता चुनाव अधिकरण, सहकारिता विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)